ग्रामीण सेवा शिविर–2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

राजस्व वाद संख्या– 511/2025

अनवान

श्री नानुदेवी पति बंशीलाल जाति- बैरवा

बनाम

श्री राज्य सरकार मद्धीलाल बैरवा।

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बनेड़ा-भीलवाड़ा

दिनांक

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चमनपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2073-76 से स्थाई खाता संख्या 46,424 में प्रार्थी नानुदेवी पति नारायण बैरवा के नाम खातेदारी से भूमि दर्ज है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स की फ़ोटो प्रतियां स्वप्रमाणित प्रस्तुत की, जिनमें वादी का नाम नानुदेवी पति बंशीलाल बैरवा दर्ज है। प्रकरण में उपस्थित गवाह मौका पर्चा ग्रा.ह. चमनपुरा के बयान लिए गए। जिसमें गवाहान ने वादी का वास्तविक नाम नानुदेवी पति बंशीलाल होना स्वीकार किया। जिसकी मजमे आम में भी तस्दीक की गई।

इस सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत चमनपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जिसकी मजमे आम में तस्दीक की गई। प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा द्वारा भी रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली के अवलोकन , गवाहान के बयान एवं तहसीलदार बनेड़ा के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम चमनपुरा के खाता संख्या 46,424 में खातेदार का नाम नानुदेवी पति नारायण बैरवा के स्थान पर नानुदेवी पति बंशीलाल बैरवा दर्ज करने का निर्णय ग्रामीण सेवा शिविर–2025 के मजमे आम कैम्प चमनपुरा में आज दिनांक 18/09/2025 को सुनाया गया।

प्रभारी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

बनेड़ा-भीलवाड़ा (राज.)